न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 39/2025

वादीगण

1. भगवान सिंह पुत्र किशोरसिंह उर्फ केशरसिंह जाति राजपूत, निवासी खाबडियाना, तहसील डेह, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अजयपाल सिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. चेनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. पर्वतसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. सुदेश कंवर पुत्री कल्याणसिंह
5. शारदा कंवर पुत्री कल्याणसिंह
6. विराग कंवर पुत्री कल्याणसिंह
7. गेनकंवर पत्नी कल्याणसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण खाबड़ियाना, तहसील डेह, जिला नागौर
8. श्यामसिंह पुत्र भागीरथसिंह
9. करणीसिंहपुत्र भागीरथसिंह
10. मानकंवर पुत्री भागीरथसिंह
11. मंजूकंवर पुत्री भागीरथसिंह
12. किशनकंवर पुत्री भागीरथसिंह
13. अन्नुकंवर पुत्री भागीरथसिंह
14. सज्जनकंवर पत्नी भागीरथसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण खाबडियाना तहसील डेह जिला नागौर
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. वादी की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से श्री ओमाराम मेघवाल, एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

: : निर्णय : :

दिनांक 18/06/25

वाद का सक्षेप मे सार इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौज खाबडियाना के खेताय खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर स्थित रहते चले आये है। वादी स्व. किशोरसिंह उर्फ केशरसिंह की जायंदा संतान है। किशोरसिह उर्फ केशरसिंह के वादी के अलावा भागीरथसिंह, कल्याणसिंह, भंवरसिंह, जबरसिंह भी पुत्र हुये। वादी को वादी के बडे भाई भवरसिंह ने अपने कोई संतान नही होने व अविवाहित होने से आज से करीब 42-43 वर्ष पहले रिति रिवाज माफिक गोद की समस्त रस्मे अदा करते हुये गोदपुत्र स्वीकार किया जिसका पंजीयन दिनाक 13.02.2008 को भंवरसिंह ने अपना गोद पुत्र वादी को स्वीकारते हुए गोदनामा का पंजीयन वादी के पक्ष में करवाया। जिससे मुददाविया खेताय में वादी का स्वर्गीय भंवरसिंह के स्थान पर वादी गोदपुत्र की हैसियत से तथा अपने जायंदा पिता किशोरसिंह उर्फ केशरसिंह से विरासत में प्राप्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करसण कर रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक मौखिक समझौतानुसार भूमि का अलग-अलग बंट होकर वादी वर्तमान में मौजा खाबडियाना के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर में से 0.6395 हैक्टेयर पश्चिमी भाग पर तथा खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर में से 3.3346 हैक्टेयर पूर्वी भाग पर काबिज रहकर काश्त करसण कर रहा है। अत: सरहद मौजा खाबडियाना के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर भूमि मे वादी को सहखातेदार कृषक घोषित करवाते हुए वादपत्र के पैरा संख्या 3 के उप पैरा क, ख, ग माफिक खातेदारी जोत का अलग-अलग विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावें। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार डेह को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार डेह को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर अधिवक्ता श्री ओमाराम मेघवाल ने वकालतनाम मय जवाबदावा के पेश किया। प्रतिवादी संख्या 15 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 14 की ओर से जवाबदावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 15 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नही होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी मे वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र भगवानसिंह पुत्र किशोरसिंह उर्फ केशरसिंह का एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा खाबडियाना के खाता संख्या 217 प्रदर्श-1, एवं गोदनामा प्रदर्श-2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आषिकत ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 14 को सहखातेदार कृषक घोषित किया जाना न्याय संगत है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भगवानसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में सरहद मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर में से 0.6395 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर में से 3.3346 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाति है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 क्रमशः अजयपालसिंह, चेनसिंह, पर्वतसिंह, सुदेश कंवर, शारदा कंवर, चिराग कंवर व गेन कंवर के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नम्बर 139 रकबा1.2869 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

3. प्रतिवादी संख्या 8 से 14 क्रमशः श्यामसिंह, करणीसिंह, मानकंवर, मंजूकंवर, किशनकंवर, अन्नुकंवर व संजन कंवर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर मध्य भाग नजरी नक्शानुसार तथा खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. उक्त खसरान् में से बैंक के रहन खसरान् का रहन बैंक के यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल— जिला नागौर

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

वादीगण

राजस्व वाद संख्या 39 / 2025

1. भगवान सिंह पुत्र किशोरसिंह उर्फ केशरसिंह जाति राजपूत, निवासी खाबडियाना, तहसील डेह, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अजयपाल सिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. धेनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. पर्वतसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. सुदेश कंवर पुत्री कल्याणसिंह
5. शारदा कंवर पुत्री कल्याणसिंह
6. चिराग कंवर पुत्री कल्याणसिंह
7. गेनकंवर पत्नी कल्याणसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण खाबड़ियाना, तहसील डेह, जिला नागौर
8. श्यामसिंह पुत्र भागीरथसिंह
9. करणीसिंहपुत्र भागीरथसिंह
10. मानकंवर पुत्री भागीरथसिंह
11. मंजूकंवर पुत्री भागीरथसिंह
12. किशनकंवर पुत्री भागीरथसिंह
13. अन्नुकंवर पुत्री भागीरथसिंह
14. सज्जनकंवर पत्नी भागीरथसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण खाबडियाना तहसील डेह जिला नागौर
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. वादी की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, एडवोकेट
2. प्रतिवादी, संख्या 1 से 14 की ओर से श्री ओमाराम मेघवाल, एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 15 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

सहायक कलक्टर (उप.ख.अ.) जायल

: : डिक्री आदेश : :

दिनांक– 18/06/25

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र राठौड व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री ओमाराम मेघवाल एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. वादी भगवानसिंहके हक बंट कब्जा काश्त मे सरहद मौजा खाबडियाना का खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर में से 0.6395 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नपजरी नक्शानुसार तथा खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर में से 3.3346 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाति है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 क्रमश: अजयपालसिंह, चेनसिंह, पर्वतसिंह, सुदेश कंवर, शारदा कंवर, चिराग कंवर व गेन कंवर के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबडियाना का खेत खसरा नम्बर 139 रकबा1.2869 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 8 से 14 क्रमशः श्यामसिंह, करणीसिंह, मानकंवर, मंजूकंवर, किशनकंवर, अन्नुकंवर व संजन कंवर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबडियाना का खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 1.2869 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर मध्य भाग नजरी नक्शानुसार तथा खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 4.3058 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. उक्त खसरान् में से बैंक के रहन खसरान् का रहन बैंक के यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल– जिला नागौर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट : इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल– जिला नागौर